रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936
No. 92] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सा.का.नि.95(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (सीनियर रिफैक्शनिस्ट) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ दृष्टि विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ दृष्टि विज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता:-- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
1	2	3	4	5	6
ज्येश्ठ दृश्टि विज्ञानी	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्श	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
11	12	13
प्रोन्नति : वेतन बैंड -1, 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 2800/-रू. में ऐसा नेत्र विज्ञानी जिसने उस श्रेणी छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नेत्र विज्ञानी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण - 1** : जहां ऐसे कनिश्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येश्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - **अध्यक्ष** 2. संबद्ध विभाग का प्रधान, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - **सदस्य** 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई	यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2.** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या संगठनों निकायो या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -1, 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 2800/-रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्श सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दृश्टि विज्ञान (आप्टोमेट्री) में बैचलर डिग्री ; (ii) किसी 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में दृश्टिमिति में दो वर्श का अनुभव । **टिप्पण** 1:-पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** :-प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्श से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्श से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण - 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का	दिल्ली - **सदस्य** 4. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - **सदस्य**	

साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[सं. ए. 11018/05/2006-आरआर एमएच- III]

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi , Rules, 1983, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Optometrist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi namely: —

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Senior Optometrist (Group 'B' post) Recruitment, Rules 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person .-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Optometrist.	01 (2014)* * Subject to variation dependent upon the workload.	General Central Service, Group 'B' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Optometrist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2800 with six years' regular service in the grade and successfully completed two weeks training in Optometry from a recognised institution. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union T erritories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band -1, Rs 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : — 1. Additional Medical Superintendent, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Chairman 2. Head of the concerned department, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Member 3. Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Member 4. Deputy Director Administration of the Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary if the appointment is to be based upon deputation.

or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors degree in Optometry from a recognised University or Institute. (ii) two years experience in Optometry in a hundred bedded Government hospital or research institute recognised by the Central Government. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* posts held, immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[No. A.11018/05/2006-RR (MH III)]

SANJAY PANT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,30 जनवरी, 2015

सा.का.नि.96 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली समूह "ख" तकनीकी पर्यवेक्षक, (नेत्र विज्ञान) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिमिति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दृष्टिमिति अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता:— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
1	2	3	4	5	6
दृष्टिमिति अधिकारी	01* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
11	12	13
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34,8 00 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दृष्टिमिति में बैचलर डिग्री ; (ii) किसी 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में दृष्टि विज्ञान (आप्टोमेट्री) में दो वर्ष का अनुभव । वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे विभागीय ज्येष्ठ दृष्टिमिति जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण** 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[स. ए. 11018/05/2006-आरआर एमएच-III]

संजय पंत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

G.S.R. 96 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Group 'B' Technical Supervisor Ophthalmology) Recruitment Rules, 1994, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Optometry Officer in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Optometry Officer (Group 'B' post) Recruitment, Rules 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

   (c) **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

   (d) **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optometry Officer	1 (2015)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method (deputation (including short term contract) plus promotion.)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method (deputation (including short term contract) plus promotion): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Optometry from a recognised University or institute. (ii) two years experience in Optometry in a hundred bedded Government hospital or research institute recognised by the Central Government. The Departmental Senior Optometrist in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade shall also be considered along with the outsiders and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* posts held, immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable.	Consultation with the union Public Service Commission is necessary.

[No. A.11018/05/2006-RR (MH III)]
SANJAY PANT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.